दिनांक 1 अक्टूबर 2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

आवासीय योजना अंतर्गत निर्मित आवासों के आबंटन लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य, 10 अक्टूबर तक जमा करना होगा, अन्यथा होंगे अपात्र

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न आवासीय योजना के अंतर्गत आवासों का सर्वेक्षण कार्य किया गया था और सर्वे के उपरांत अस्थाई आबंटन पत्र जारी किया गया है! आवासों में आबंटन की आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन के वर्ग आरक्षण नियम का पालन किया जाना है , जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी! निगम उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने बताया कि आवासों के सर्वेक्षण के उपरांत अस्थाई आबंटन पत्र जारी किया गया है , तथा उन्हें जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 20 अगस्त 2020 को सूचना जारी की गई थी! परंतु कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है! जबकि आरक्षण नियम का पालन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है! श्री लहरे ने आगे बताया कि जिन्हें आवासों का अस्थाई आबंटन जारी किया गया है उन्हें अनुविभागीय दंडाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 आवास/गुमटी शाखा में दिनांक 10 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा! जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आवास आवंटन हेतु अपात्र कर दिया जाएगा!